उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 510 /एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 25.07.2024

दिनांक	:	25 जुलाई, 2024
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की बारहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की बारहवीं बैठक श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 25 जुलाई, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक व पादप रोग वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; गन्ना विभाग; कृषि विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; रेशम विभाग; उद्यान विभाग तथा उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा के मौसम वैज्ञानिक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

मौसम पूर्वानुमान (26 जुलाई से 01 अगस्त, 2024)

- भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता के कारण इस सप्ताह के दौरान बुन्देलखण्ड एवं दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा विंध्य एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के कुछ भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं–कहीं भारी वर्षा की संभावना के कारण औसत साप्ताहिक वर्षा सामान्य से अधिक तथा प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सम्भावित छिटपुट वर्षा के दृष्टिगत यह सामान्य से कम रहने की संभावना है।
- प्रदेश में उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 02 से 04 डिग्री सेल्सियस अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य से आंशिक रूप से अधिक रहने की संभावना है।
- प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस; भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के शेष भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी एवं विन्ध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 जून से 25 जुलाई, 2024) के दौरान उत्तर प्रदेश में 304.1 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष कुल 279.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 8 प्रतिशत कम है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 331.7 मिमी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 15 प्रतिशत कम कुल 280.9 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 265.6 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 5 प्रतिशत अधिक कुल 278.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। मानसून ऋतु के दौरान अभी तक प्रदेश के बस्ती जनपद में सर्वाधिक 653.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कृषि विभाग से दिनांक 20 जुलाई, 2024 तक प्राप्त आच्छादन आंकड़ों के अनुसार कुल खरीफ फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य 102.05 लाख हे. के सापेक्ष 65.73 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है जो लक्ष्य का 64.41 प्रतिशत है। धान के लक्ष्य 61.24 लाख हे. के सापेक्ष 41.92 लाख हे. की पूर्ति की जा चुकी है जो लक्ष्य का 68.46 प्रतिशत है, मक्का फसल लक्ष्य 8.81 लाख हे. के सापेक्ष 6.35 लाख हे. की बुवाई, ज्वार में 2.99 लाख हे. के सापेक्ष 1.65 लाख हे. की बुवाई, बाजरे के लक्ष्य 10.61 लाख हे. के सापेक्ष 4.64 लाख हे., अरहर लक्ष्य 3.68 लाख हे. के सापेक्ष 1.84 लाख हे., उर्द के लक्ष्य 7.57 लाख हे. के सापेक्ष 4.56 लाख हे., मूंग लक्ष्य 0.50 लाख

हे. के सापेक्ष 0.3 लाख हे., मूंगफली लक्ष्य 1.32 लाख हे. के सापेक्ष 2.03 लाख हे. तथा तिल लक्ष्य 4.25 लाख हे. के सापेक्ष 1.8 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:–

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई श्रोतों का समुचित उपयोग करते हुये जीवन रक्षक सिंचाई करें।
- आगामी सप्ताह में वर्षा कम होने की संभावना के दृष्टिगत ''श्री अन्न'' जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कोदों आदि की खेती को महत्ता दी जाय। इन फसलों की खेती से मौसम के कुप्रभाव से भी बचाव किया जा सकता है।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जल भराव न होने दें, जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।
- सभी किसान भाई–बहन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने प्रक्षेत्रों में तथा अनुपयोगी भूमि में वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम को सफल बनायें।
- वर्तमान में गलाघोंटू बीमारी का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। यह सुविधा पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- खुरपका एवं मुहपका (एफ.एम.डी.) बीमारी का टीकाकरण 15 जुलाई से 30 अगस्त तक 60 जनपदों में निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिये दवाईयां पशु चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- कतला, रोहू, नैन, सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज वर्तमान में उ.प्र. मत्स्य विकास निगम व निजी क्षेत्र की हैचरियों पर उपलब्ध है। अतःमत्स्य पालक जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर मत्स्य बीज संचय करायें।

धान की खेती

- बासमती धान की पूसा–1509, पूसा बासमती–1, पूसा–1121, पूसा–1692 आदि प्रजातियों को पश्चिमी उ.प्र. में जुलाई के अंतिम सप्ताह व पूर्वी उ.प्र. में अगस्त के प्रथम पक्ष में रोपाई करें जिससे दाने की गुणवत्ता व सुगन्ध का विकास अच्छी तरह से हो सके। 20 X 15 से.मी. की दूरी पर 2 से 3 पौध की रोपाई करें। बासमती प्रजातियों में लगने वाले बकानी रोग से बचाव हेतु कार्बेन्डाजिम के 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौध को उपचारित करके रोपाई करें अथवा खड़ी फसल में छिड़काव करें।
- धान की रोपाई के बाद जो पौधे गल गये हो उनके स्थान पर तीन से पॉच दिन के अन्दर दूसरे पौधों को तुरन्त लगा दें ताकि प्रति इकाई पौध सुनिश्चित की जा सके।
- धान की सीधी बुवाई में खरपतवार की निराई करें।
- खरपतवार नियंत्रण हेतु रोपाई के 18 से 21 दिन पर विसपाइरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत ए.सी. 0.20 लीटर प्रति हे. की दर से नमी की स्थिति में लगभग 500–700 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन नाजिल से छिड़काव करें।
- रोपाई किये गये धान में 20 से 25 दिन पर प्रथम बार यूरिया की टापड्रेसिंग एवं दूसरी टापड्रेसिंग रोपाई से 40 से 45 दिन पर करें।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में दीमक व जड़ सूड़ी का प्रकोप होने पर इनके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाईरीफॉस 20 प्रतिशत ई.सी. की 2.5 प्रति हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें।

मक्का की खेती

- पूर्व में बोए गए मक्के की निराई तथा विरलीकरण के बाद मक्के में घुटने के बराबर (30–35 दिन पर) पौधों की ऊंचाई हो जाने पर 75 कि.ग्रा./हे. यूरिया की टापड्रेसिंग करें तथा जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 2 किग्रा./हे. की दर से बुआई के 2 दिन के अन्दर 800 ली./हे. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होने पर 10 से 20 प्रतिशत क्षति की अवस्था में प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एस.सी. 0.4 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा स्पाइनोसैड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा थायामेथाक्सॉम 12.6 प्रतिशत+लैम्ब्डासाइहैलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत 0.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

श्री अन्न की खेती

- बाजरा की उन्नतशील संकुल किस्मों यथा धनशक्ति, आई.सी.एम.बी.–155, डब्लू.सी.सी.–75, न.दे.पफ.बी.–3 (नरेन्द्र चारा बाजरा–3), राज–171 तथा संकुल किस्मों 86 एम. 84, आई.सी.एम.एच.–451, पूसा–322 तथा पूसा–23 की बुवाई करें।

- साव्रां की संस्तुत प्रजातियों यथा आई.पी.–149, यू.पी.टी.–8, आई.पी.एम.–97, आई.पी.एम.–100, आई.पी. एम.–148 व आई.पी.एम.–151 की बुआई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- कोदों की संस्तुत प्रजातियों जे.के.–6, जे.के.–62, जे.के.–2, ए.पी.के.–1, जी.पी.वी.के.–3 की बुआई यथाशीघ्र समाप्त करें।

अरहर की खेती

- अरहर की अधिक उपज हेतु देर से पकने वाली उन्नतशील किस्मों यथा नरेन्द्र अरहर 2, मालवीय–13 (चमत्कार), राजेन्द्र अरहर–2, मालवीय विकास, पूसा 9 (बहार), आजाद, नरेन्द्र अरहर 1, अमर, बहार, आई. पी.ए.–206, आई.पी.ए.–15–2 की बुवाई अभी तक नहीं की है तो मेढ़ों पर यथाशीघ्र बुवाई करें।
- बीजों को बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा + 1 ग्राम कारबाक्सिन से उपचारित करें। बुआई से पहले बीजों को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

उर्द एवं मूंग की खेती

- उर्द की किस्मों आजाद उर्द–1, आजाद उर्द–2 (हरा दाना), शेखर–1, शेखर–2, आई.पी.यू.–94–1 (उत्तरा), टा–27 तथा टा–65, आईपीयू 11–02, आईपीयू 13–1, पंत उर्द–9, पंत उर्द–8, पंत उर्द–12 एवं मूंग की किस्मों नरेन्द्र मूंग–1, सम्राट, मालवीय जन चेतना, टी.एम.–9937, मालवीय जन कल्याणी, एम.एच.–215, आई.पी.एम. 2–3, श्वेता, स्वाति, विराट, आई.पी.एम. 2–14, आजाद मूंग–1, पूसा 14–31, मेहा 99–125, वर्षा, कनिका की बुवाई करें।
- यदि बीज शोधित न हो तो बीज को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 2.0 ग्रा. थीरम से प्रति कि.ग्रा. की दर से शोधित करने के बाद उर्द/मूंग के राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 कि.ग्रा. बीज का उपचार करें।

तिल की खेती

- तिल की उन्नत किस्मों यथा गुजरात तिल–6, आर.टी.–346, आर.टी.–351, तरूण, प्रगति, शेखर, टा–78, टा–13, टा–12 तथा टा–4 बुवाई करें।

मूंगफली की खेती

- जिन कृषकों ने मूंगफली की उन्नत किस्मों यथा जी.जे.जी.–9, जी.जे.जी.–31, दिव्या (सीएसएमजी–2003–19), अम्बर (सीएसएमजी–84–1), चित्रा (एम.ए.–10), कौशल, टी.जी.–37ए, टा–64, टा–28 तथा प्रकाश की बुवाई अभी तक नहीं की है वह यथाशीघ्र बुवाई समाप्त करें।
- बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा + 1 ग्राम कारबाक्सिन से उपचारित करें। बुआई से पहले हर बीज को मूंगफली के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

गन्ना की खेती

- शरदकाल में बोये गये गन्ने को मानसून में गिरने से बचाने के लिये गन्ने की बधाई करें तथा गन्ने की जड़ों पर मिट्टी चढ़ायें।
- प्रथम बधाई हेतु गन्ना जब लगभग 5 फुट का हो जाये तो 2 फुट की ऊँचाई पर गन्ने की लाइनों में प्रत्येक क्लम्प को नीचे की सूखी पत्तियों से बांध दें।
- गन्ने में पाईरीला का प्रकोप होने पर अंड समूहों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिये। फसल वातावरण में पाईरीला कीट के परजीवी एपिरीकेनिया मेलोनोलूका को संरक्षण प्रदान करना चाहिये। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 प्रतिशत ई.सी. 2 लीटर/हे. 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर अथवा क्लोरपाईरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. 1.5 लीटर/हे. 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिये।
- पोक्का बोइंग रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
- लालसड़न रोग के लक्षण गन्ने की पत्तियों की मध्य शिरा के पिछले भाग पर दिखने पर पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उखाड़े गये स्थान पर थायोफिनेट मिथाइल 0.2 प्रतिशत की ड्रेचिंग करें।
- चूसक कीटों से बचाव हेतु प्रोफेनोफॉस 40 प्रतिशत+साईपर 4 प्रतिशत की 750 एम.एल. मात्रा को 625 ली. पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
- गन्ने में चोटीबेधक तथा तनाबेधक कीट का प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत दानेदार 30 कि.ग्रा. प्रति हे. की दर से पौधों की जड़ों के पास समुचित नमी की दशा में प्रयोग करें।
- गन्ना विभाग द्वारा सर्वे–प्रदर्शन का कार्य कराया जा रहा है जिसमें प्रजाति, क्षेत्रफल, पेड़ी/पौधा संबंधी जानकारियों को दर्ज करायें।

सब्जियों की खेती

- खरीफ फसल की बुवाई न की हो तो खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तुरई, पेठा, भिण्डी, चौलाई और मूली की बुवाई कर सकते हैं।
- भिण्डी की खरीफ (वर्षा ऋतु में) के मौसम में बुवाई अभी भी समय है। इसकी बीज दर 10–12 कि.ग्रा. प्रति हे. तथा संकर किस्मों के लिये 5–8 कि.ग्रा. बीज पर्याप्त है।
- बैंगन की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिये क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल रसायन की 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10–15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- बैंगन की फसल में फाईमोप्सिस ब्लाईट फलसड़न से बचाव के लिये थायोफिनेट मिथाइल की 1.00 से 1.50 मि.ली. मात्रा/ली. पानी के साथ घोल 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई के बाद स्प्रे करें एवं अगली तुड़ाई 15 दिन बाद करें।

मशरूम उत्पादन

- मशरूम उत्पादक किसान मशरूम की खेती के लिये अगस्त माह से इसकी तैयारी करें।
- मशरूम उत्पादन की जानकारी हेतु डा. एस.के. विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर (मो. 9452522504), पादप रोग विज्ञान विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या अथवा जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्र/उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण हेतु जानकारी प्राप्त करें।

बागवानी

- केले के नवीन बाग लगाने हेतु ऊतक संवर्धित रोगरोधी जी–9 प्रजाति लगायें।
- केले में एक तलवार पुत्ती को छोड़ते हुये शेष पुत्तियों की कटाई करें तथा फल वाले पौधों में स्टेकिंग (सहारा) दें।
- जिन किसान भाईयों को आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, जामुन, बेर, केला, पतीता के पौधों के नये बाग लगाने है उनका रोपण करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- पशुओं को तालाब के गड्ढ़ों में एकत्रित पानी न पिलायें अन्यथा आंतरिक परजीवी की संभावना बढ़ जायेगी।
- पशुओं को हरा चारा खिलाते समय यह ध्यान रखे कि चारा हमेशा धोकर खिलायें जिससे मिट्टी के साथ आंतरिक परजीवी के अंडे अथवा लार्वा भी जाने की संभावना अधिक होती है।
- खरीफ चारा फसलों की बुवाई का समय है अतः सभी पशुपालक/कृषक खेत की अच्छी तैयारी कर उन्नतशील किस्म के चारा बीज की बुवाई करायें।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.–1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय। मछलियों को निश्चित समय पर भोजन दिया जाय।
- जलाशय/नदियों में 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबंधित है।
- बरसात के मौसम में तालाब के जलीय पौधों का उन्मूलन करना आवश्यक है। यह पौधे तालाब में उपलब्ध पोषक तत्वों को शोषण करते है और मछलियों को मुक्त कराते हैं।
- तालाब की मिट्टी की अम्लीयता की निगरानी करते रहे अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी को गोबर (20 से 30 टन प्रति हे.) या जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टेयर डालकर नियंत्रित करें।
- थाई मॉगुर मछली पालना प्रतिबन्धित है। इसको न पाला जाये।

रेशम

- शहतूत वृक्षारोपण/बागानों में निराई, गुड़ाई एवं घास तथा अन्य खरपतवार की सफाई के उपरांत गोबर की खाद व एन.पी.के. का प्रयोग करें।
- एरी कीटपालन कार्य माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होना है इस हेतु अरण्डी बीजों का छिड़काव कर लें जिससे समय पर पत्ती प्राप्त हो सके।
- टसर रेशम कीटपालन में प्रथम क्राप अम्पतिया का कीटपालन प्रारंभ हो चुका है। अतः कीटपालाकों/कृषकों को सुझाव दिया जाता है कि टसर रेशम कीट का अच्छी प्रकार से देख भाल कर कीटपालन में नाईलॉन नेट का प्रयोग करें।

वानिकी

- पौधशाला में अंकुरण क्यारियाँ तैयार कर आम, गुलमोहर, महुआ, कटहल, जामुन, कंजी, नीम आदि के बीजों की बुआई शीघ्र कर लें। अंकुरित पौधों को रूट ट्रेनर/थैलियों में प्रतिरोपित कर रख दें।

आपदा प्रबंधन

वज्रपात (आकाशीय बिजली) हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पक्की छत के नीचे शरण लें। 2. यात्रा के दौरान वाहन के अंदर ही रहें। 3. खिड़कियां दरवाजे एवं बरामदों से दूर रहें। 4. बिजली के उपकरणों या तार के सम्पर्क में आने से बचें। 5. समूह में न खड़े हो बल्कि अलग अलग खड़े रहे। 6. पानी के खेत, तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप खेत खलिहान में हैं तो पैरों के नीचे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रखें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों से कानों को बंदकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटायें, जमीन पर कदापि न लेटें।

क्या न करें

1. पेड़ के नीचे न खड़े हो। 2. दीवार के सहारे टेक न लगायें। 3. बिजली व टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण न लें। 4. नल फ्रिज व टेलीफोन आदि को न छुये। 5. धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें।

सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। 2. व्यक्ति की घबराहट दूर करें। घबराहट से शरीर में जहर तेजी से फैलता है। 3. मरीज के घाव से छेड़-छाड़ न करें, उसे साबुन एवं पानी से धुलें। 4. घाव के आस पास से घड़ी, कड़ा, अंगूठी तुरंत उतार दें। 5. मरीज को अस्पताल ले जाय जल्दी ही एंटीवेनम दिया जाना चाहिये।

क्या न करें

1. सांप के जहर को कभी भी मुंह से चूसकर निकालने की कोशिश न करें। 2. बिना चिकित्सीय सलाह किसी भी प्रकार की दवा मरीज को न दें। 3. पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम इत्यादि न लगायें। 4. सपेरे अथवा तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। सांप को मारने का प्रयास न करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 01 अगस्त, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

25/07/24

(पीयूष कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।

9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

25-7-24

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की बारहवीं बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2024 की उपस्थिति

1. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
3. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उपकार, लखनऊ।
4. डा. जय पाल, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ
5. डा. समीर कुमार विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ ।
7. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश
8. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उत्तर प्रदेश
10. श्री कुंदन सिंह, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
12. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
13. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
14. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
15. श्री गिरीश त्रिपाठी, ए.डी.एफ., मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. श्री सचिव आर्या, कीट वैज्ञानिक, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।